करनैल सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य

सितंबर 13,2000

[के. टी. थॉमस और आर. पी. सेठी, न्यायमूर्तिगण]

स्वापक औषधि एवं मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985-धारा 51, 52 (3) (ए), (बी), 53,55-अपीलार्थी की तलाशी स्वापक ब्यूरो के निवारक दल द्वारा ली गई थी-नमूने लिए गए थे और अधीक्षक, केंद्रीय स्वापक ब्यूरो के समक्ष प्राथमिकी दर्ज की गई थी-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा की गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा -अपील पर, धारा 55 के तहत मुहर लगाने के लिए आवश्यक अधिकारी निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है जो धारा 53 में उल्लिखित अधिकारियों से अलग होता है-यदि गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास भेजा जाता है तो धारा 55 के तहत प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन यदि उसे धारा 53 में उल्लिखित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो इसी तरह की प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया जा सकता है-कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं-दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

धारा 42 और 43-लागू-धारा 42 के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब व्यक्तिगत जानकारी या अधिकारी के जानकारी के बिना कार्रवाई की जाती है।

धारा 35-अनुमान-आयोजित, सबूत का बोझ जो किसी भी तरह से निष्पादित नहीं किया गया था, क्योंकि अपराध एक सचेत दिमाग और पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया था-अनुमान का खंडन नहीं किया गया।

स्वापक ब्यूरो के एक निवारक दल ने अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया और उसे बताया कि उन्हें उसके ट्रक में अफीम होने का संदेह है। ट्रक को केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो के नियंत्रण कक्ष में ले जाया गया जब उसने बताया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तलाशी ले सकता है। संदिग्ध थैलों को जब्त कर लिया गया और अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया और कुछ नमूने लिए गए। उन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर किए और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नमूने अफीम साबित हुए और केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो के अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने सजा कम करने की सजा को बरकरार रखा। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि

स्वापक औषधि एवं मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 55 के आदेश का पालन नहीं किया गया था और अधिनियम की धारा 35 के तहत कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि दोषी मानसिक स्थिति की अनुपस्थिति के बारे में सबूत की जिम्मेदारी से वह पहले ही मुक्त हो चुका था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अवधारित कियाः स्वापक औषधि एवं मनौदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 55 एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को कार्यभार संभालने और उस थाना के स्थानीय क्षेत्र के भीतर अधिनियम के तहत जब्त की गई वस्तओं को जो उसे दिया जा सकता है का सुरक्षित हिरासत में रखने का आदेश देता है और किसी भी अधिकारी को अनुमति देगा जो ऐसी वस्तु के साथ पुलिस स्टेशन जा सकता है या जिसे इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है कि वह ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाए या उनसे और उनसे नमूने ले और इस तरह लिए गए सभी नमूनों को भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी

की मुहर से सील कर दिया जाएगा। धारा 51 के साथ पठित धारा 52 और 53 का अर्थ होगा, धारा 55 के तहत मुहर आदि लगाने के लिए अपेक्षित अधिकारी, "निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी" होगा जो धारा 53 के तहत सशक्त पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से अलग होगा। यदि धारा 52(3)(ए) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, जहां गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है, तो धारा 55 लागू होगी, लेकिन यदि गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुओं को धारा 52(3)(बी) के तहत अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाता है, तो धारा 55 के अनुपालन पर जोर नहीं दिया जा सकता है। [257-एफ-एच; 258-ए-बी]

1.2. निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी के बीच का अंतर एक उचित उद्देश्य के आधार पर अलग और स्पष्ट है, क्योंकि यदि व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुओं को 'निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी' के पास भेजा जाता है, तो धारा 53 के तहत विचार किए गए अधिकारियों की तुलना में एक अलग एजेंसी तस्वीर में आती है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों के हित में जब्त की गई संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह अंतर धारा 52 ए(2) से भी स्पष्ट है। [258-डी]

2. धारा 42 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उसके तहत सशक्त अधिकारी को अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले, मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की आवाजाही के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी से विश्वास करने का कारण होना चाहिए। यदि कार्रवाई उनकी व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी के बिना की जाती है, तो धारा 42 की

आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी। हालांकि, वर्तमान मामले में धारा 49 के साथ पठित धारा 43 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन पाई गई है।

3. अपीलार्थी ने किसी भी तरह से सबूत का भार अधिनियम की धारा 35 के तहत परिकल्पित धारणा का खंडन करने के लिए नहीं उठाया था। यह साबित है कि वह एक सचेत मन एवं पूर्ण ज्ञान के साथ अफीम का वहन कर रहा था। उन अपराधों के सभी तत्व जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी। [258-जी]

अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य, **[2000] 2 एससीसी 513, पर भरोसा किया।**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2000 का आपराधिक अपील सं 781 से।

1994 का एस.बी.अपराधिक अपील सं. 449 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित के 2.9.98 निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए जयंत भूषण (ए.सी.)।

प्रतिवादी की ओर से सुशील कुमार जैन, ए. मिश्रा और सुश्री अंजलि दोशी।

न्यायालय का निर्णय **सेठी न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया था।

अनुमति दी गई।

अपीलार्थी एक ट्रक चालक पर आशंका की गई एवं 21 अगस्त, 1992 को राजस्थान में कोटा-बूंदी सड़क पर एक निवारक दल द्वारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि यह दिखाया गया कि वह अपने ट्रक सं. पी सी टी 9997 में 96.600 किलाग्राम अफीम ले जा रहा था। अफीम को

तीन बोरे में छुपा कर रखा गया था जिसमें 21 रेक्सिन के थैले थे। आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाता है) की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जब्त किए गए सामान और नमूनों को डबल लॉक मालखाने में रखा गया था। जाँच करने पर जब्त की गई वस्तुएँ अफीम पाई गईं। मुकदमे में, अपीलार्थी को उन अपराधों का दोषी पाया गया, जिनके लिए उस पर अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। उन्हें दोषी ठहराया गया और 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। या जुर्माने की चूक में एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इस अपील में आक्षेपित आदेश के अनुसार कारावास की सजा को घटाकर 10 साल और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक कर दिया।

श्री जयंत भूषण, अधिवक्ता जो न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं उन्होंने कुछ कानूनी सवाल उठाए जिन पर उनके अनुसार या तो विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी बरी होने का हकदार था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 35 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती है। *अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य* [2000] 2 एस सी सी 513 के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने दोषी मानसिक स्थिति के अभाव की अपनी याचिका के संबंध में सबूत के दायित्व का निर्वहन किया था, जिसे स्वीकार कर होना चाहिए था और अपीलार्थी को बरी कर देना।

अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उल्लंघन के संबंध में, यह है अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 55 के आदेश का पालन नहीं किया गया है और चूंकि विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय गलत धारणाओं पर अपीलार्थी के अपराध पर पहुंचा है, इसलिए अपील को विवादित निर्णय को दरकिनार करके स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए मामले के कुछ तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब ट्रक को रोका गया था, तो वह स्थिर नहीं था, बल्कि अपीलार्थी द्वारा चलाया जा रहा था। छापा मारने वाले दल में नंद लाल राय, इंस्पेक्टर (पीडब्लू8), मोहन लाल (पीडब्लू1), बजरंग लाल (पीडब्लू2) और ज़हीन अहमद (पीडब्लू7) शामिल थे। यह संदेह करते हुए कि ट्रक में कुछ मादक पदार्थ ले जाए जा सकते हैं, इंस्पेक्टर नंद लाल राय (पीडब्लू8) ने स्वतंत्र गवाहों ओंकार और राम लाल को बुलाया और उनकी उपस्थिति में अपीलार्थी से कहा कि उसे ट्रक में अफीम ले जाने का संदेह था। चूंकि वह ट्रक की तलाशी लेना चाहता था, इसलिए उसने अपीलार्थी से पूछा कि क्या वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ट्रक की तलाशी लेगा। अभियुक्त ने उसे बताया कि ट्रक की तलाशी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ले सकता है। चूंकि उस समय तक बारिश शुरू हो चुकी थी और जांच स्थल पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए निवारक दल ट्रक को उसके चालक के साथ केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो कोटा के नियंत्रण कक्ष में ले गया। पीडब्लू8, नंद लाल राय ने अन्य कर्मचारियों के साथ आनंद सिंह नेगी और अन्य गवाहों की उपस्थिति में ट्रक की तलाशी ली और अफीम से भरे तीन बोरे पाए, जैसा कि पहले देखा गया था। हर एक से बोरे से रासायनिक जांच के लिए 24-24 ग्राम अफीम के 2-2 नमूने लिए गए और गवाहों की

उपस्थिति में नमूने जब्त किए गए। अफीम वाले रेक्सिन थैलों को बोरे में वैसी ही स्थिति में रखा जाता था जैसी स्थिति में था और प्रत्येक बोरे को सफेद कपड़े में लपेटकर सील कर दिया जाता था। नंद लाल राय, निरीक्षक (पीडब्लू8), आनंद सिंह नेगी (पीडब्लू4) और विभाग के अन्य कर्मचारी गवाहों ने नमूनों और तीन बंडलों पर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने पंचनाम पर भी हस्ताक्षर किए। अपीलार्थी को अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इंस्पेक्टर नंद लाल राय अधीक्षक, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, कोटा के कार्यालय में गए एवं ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। अधीक्षक, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, कोटा ने इंस्पेक्टर शिव नारायण को जांच सौपी। घटना की जानकारी 23 अगस्त, 1992 को उच्च अधिकारी को भेजी गई थी। जब्त अफीम से लिए गए नमूने महाप्रबंधक, सरकारी अफीम और अल्कालॉइड वर्क्स नीमच को भेजे गए थे। जाँच करने पर नमूने अफीम के पाए गए।

निचली अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि धारा 42,50,52 ए, 52(1) और (2), 55 और 57 का पालन नहीं किया गया था। हालाँकि, अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं थे और धारा 49 के तहत, जो मामले के लिए प्रासंगिक धारा थी, इंस्पेक्टर नंद लाल राय (पीडब्लू8) के लिए लिखित रूप में वास्तविक खोज करने से पहले संदेह का कारण कम करना आवश्यक नहीं था। अधिनियम की धारा 52 ए का कथित उल्लंघन मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं किया। कथित गैर-अनुपालन के कारण अधिनियम की धारा 52(1) और (2) के प्रावधान का कोई पूर्वाग्रह नहीं माना गा था। अधिनियम की धारा 52(3) का पालन किया गया था। जहाँ तक अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन का संबंध विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा के आधार पर, मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 55 के अनिवार्य प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है। शेष अफीम और नमूनों वाले बंडलों को थाना प्रभारी अधिकारी नंद लाल राय द्वारा स्थल पर अपनी मुहर के नीचे सील कर दिया गया था और यह संदेह के तर्कसंगत से परे साबित होता है कि अफीम के इन बंडलों को उसी सीलबंद स्थिति में अदालत में पेश किया गया था और नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए उसी सीलबंद स्थिति में भेजे गए थे। इतना ही नहीं, जांच किए गए नमूने खुली दशा में न्यायालय में प्रस्तुत किए गए एवं अफीम के बंडल भी न्यायालय में सीलबंद करके पेश किए गए,बल्कि अभियोजन साक्षी 4 आनंद सिंह नेगी एवं अभि. साक्षी 5 रामा शंकर प्रसाद ने उपरोक्त नमूनों एवं पैकेटों को देखने के बाद, बायान देते हुए कहा कि इन नमूनों एवं पैकेटो पर नंद लाल राय की वही मोम की मुहर थी जो उनके द्वारा साइट पर इन नमूनों एवं पैकेटों को सीलबंद करते समय लगाई गई थी। उपरोक्त नमूनों एवं पैकेटों पर चिपकाये गए चीट पर आज भी आनंद सिंह के वही हस्ताक्षर हैं जो उन्होने इन नमूनों एवं पैकेटों को सीलबंद करते समय लगाई थी। इसलिए, मेरी राय मेँ अधिनियम की धारा 55 के अनिवार्य प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।"

उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान मामले में लागू नहीं थे और धारा 52 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत निर्धारित प्रकिया का सहारा नहीं लिया गया था, धारा 55 का अनुपालन आवश्यक नहीं था।

इस अधिनियम को स्वापक औषधि एवं मनौदेहिक पदार्थ के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपति, को जब्त करने के लिए, स्वापक औषणि एवं मनोदैहिक पदार्थ से

संबंधित संचालन के नियंत्रण एवं विनियमन के लिए, स्वापक औषधि एवं मनोदैहिक पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने एवं उनसे जुड़े मामालों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अध्याय 5 जिसमें धारा 41 से 68 शामिल हैं, वारंट जारी करने से संबंधित प्रक्रिया एवं वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति, ऐसी प्रक्रिया जहां ज़ब्त करने योग्य माल की जब्ती व्यवहार्य नहीं है, जिन शर्तों के तहत तलाशी ली जाएगी, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं का निपटान, अवैध वस्तुओं के कब्जे के बारे में अनुमान, कष्टप्रद प्रवेश के लिए सजा, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी, अवैध दवाओं और पदार्थों को छिपाने के लिए उपयोग किए गए सामान की जब्ती, ज़ब्त करने की प्रक्रिया और अभियोजन से प्रतिरक्षा देने की शक्ति आदि से संबंधित है। धारा 42 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार का कोई अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल, जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से सशक्त है, या राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी जो इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश, द्वारा सशक्त है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्वायक औषधि या मादक पदार्थ, जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो साक्ष्य प्रदान कर सकती है या इस तरह के अपराध को किसी भी भवन, परिवहन या संलग्न में रखा या छुपाया गया है इस स्थान पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और प्रतिरोध की स्थिति में, किसी भी दरवाजे को तोड़ सकते हैं और ऐसे प्रवेश की किसी भी बाधा को दूर

कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी के पास दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री और किसी अन्य वस्तु या परिवहन को जब्त करने की शक्ति है, जिसे वह अधिनियम के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी मानता है और हिरासत में लेने और तलाशी लेने का कारण है, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिसे उसके पास अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध करने का विश्वास करने का कारण है। यदि ऐसे अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि ऐसा वारंट और प्राधिकरण किसी अपराधी के भागने के लिए साक्ष्य या सुविधा को छिपाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश करने का अधिकार है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लेकिन अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के बाद है। धारा 42 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि उसके तहत सशक्त अधिकारी, अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले, मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ की आवाजाही के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान या ज्ञान से विश्वास करने का कारण हो। हालाँकि, यदि कार्रवाई उनकी व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी पर नहीं की जाती है, तो धारा 42 की आवश्यकताएँ लागू नहीं होंगी।

अधिनियम की धारा 43 में प्रावधान हैः

"सार्वजनिक स्थानों पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति। किसी भी अधिकारी

धारा 42 में उल्लिखित विभागों में से-- किसी भी विभाग का कोई अधिकारी

(ए) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में, किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ को जब्त करें, जिसके संबंध में उसके पास कारण है कि अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है और ऐसी दवा या पदार्थ के साथ, इस अधिनियम के

तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी कोई भी जानवर या वाहन या वस्तु, और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जिस पर उसे विश्वास करने का कारण है, ऐसी नशीली दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध के होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

(बी) किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लें और उसकी तलाशी लें, जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि उसने अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति के पास कोई स्वापक औषधि या मादक पदार्थ है और ऐसा रखना उसे गैरकानूनी लगता है, तो उसे और उसकी कंपनी के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करें।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक "स्थान" में कोई भी सार्वजनिक परिवहन, होटल, दुकान या जनता द्वारा उपयोग के लिए या उनके लिए सुलभ " अन्य स्थान शामिल है।

अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान हैः

"परिवहन को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति-धारा 42 के तहत अधिकृत कोईभी स्वापक दवा मनोदैहिक पदार्थ के परिवहन के लिए अधिकारी, यदि उसे संदेह करने का कारण है कि कोई जानवर या परिवहन का उपयोग किया जाता है या होने वाला है जिसके संबंध में वह संदेह करता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का किसी भी समय उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है, ऐसे जानवर या परिवहन को रोकें, या, किसी विमान के मामले में, उसे उतरने के लिए मजबूर करें और -

(ए) वाहन या उसके हिस्से की खोज करना;

(बी) पशु पर या परिवहन में किसी भी वस्तु की जांच और खोज करें;

(सी) यदि पशु या परिवहन को रोकना आवश्यक हो जाता है, वह इसे रोकने के लिए सभी वैध साधनों का उपयोग कर सकता है, और जहां ऐसा साधन विफल हो जाता है जानवर या वाहन पर गोली चलाई जा सकती है।"

अधिनियम की धारा 53 केंद्र सरकार को इसके बाद अधिकार देती है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया या सीमा सुरक्षा बल या ऐसे अधिकारियों के किसी अन्य वर्ग के किसी भी अधिकारी को एक अधिकारी की शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी नियुक्त किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों को अब तक लागू किया गया है क्योंकि वे अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के लिए अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। अधिनियम की धारा 52 के तहत एक अधिकारी को धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना चाहिए। धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुओं को बिना आवश्यक देरी के मजिस्ट्रेट को भेजा जाना आवश्यक है, जिनके द्वारा वारंट जारी किया गया था। धारा 52 की उप-धारा (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

"(3) धारा 41 की उप-धारा (2) धारा 42, धारा 43 सर धारा 44 के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु बिना किसी अनावश्यक देरी के आगे बढ़ाया जायेगा

(ए) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

(बी) धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को।"

धारा 55 एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर अधिनियम के तहत जब्त की गई वस्तुओं का प्रभार लेना और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, *जो उन्हें दिया जा सकता है* (जोर दिया गया है) के लिए अनिवार्य करती है और किसी भी अधिकारी को, जो ऐसी वस्तु के साथ पुलिस थाने में जा सकता है या जिसे इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने या उनसे और उनके नमूने लेने की अनुमति देगा और इस तरह लिए गए सभी नमूनों को भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर से सील किया जाएगा। इस धारा पर भरोसा करते हुए विद्वान न्यायमित्र श्री जयंत भूषण ने कहा कि जब्ती के बाद माल को अधीक्षक, केंद्रीय को भेजा गया था। स्वापक ब्यूरो, कोटा, को भेजा गया था जो कानून के अनुसार, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी होने के नाते, वस्तुओं और नमूनों पर अपनी मुहर नहीं लगाई, पूरी प्रक्रिया अवैध होने के कारण हुई, जिससे अपीलार्थी को बरी कर दिया गया। पहली नजर में तर्क आकर्षक लगा, लेकिन जब गहराई से विश्लेषण किया गया, बिना किसी सार के पाया गया। अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित धाराएँ 52 एवं 53 के अनुप्रयोग के तहत सील आदि लगाने के लिए अपेक्षित अधिकारी। अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, "निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी" होगा जो अधिनियम एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी से अलग और अधिकार प्राप्त अधिकारी के रूप में होगा /यदि धारा 52 की उप-धारा 3(ए) के तहत सहारा के लिए यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है तो अधिनियम की धारा 55 की प्रयोज्यता आकर्षित होगी, लेकिन यदि

अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) का खंड (बी) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति एवं जब्त सामग्री अधिनियम की धाराप 53 के तहत सशक्त अधिकारो का अग्रसारित की जाती है, तो धारा 55 के अनुपालन पर जोर नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी है के बीच का अंतर अलग एवं स्पष्ट है। यह भिन्नता स्पष्टतया युक्तियुक्त उद्येश्य पर आधारित है, लेकिन निकटतम थाना के प्रभारी को संदर्भित व्यक्ति एवं जब्त सामग्री के मामले में अधिनियम की धारा 53 के तहत अपेक्षित अधिकारो के अलावा एक अलग एजेंसी चित्रित होती है, जो गिरफ्तार व्यक्तियों के हित में जब्त सामग्री के लिए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता बताती है। अपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत थाना प्रभारी पर लगाए गए कर्तव्य एवं विविध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, एवं वह (अधिकारी) स्पष्टतया संहिता के कर्तव्य में व्यस्त होने के कारण, अधिनियम की धारा 53 में उल्लिखित पदराधिकारियों को एक आवेदन दायर कर जब्त स्वापक औषधि एवं मनोदैहिक पदार्थ के निपटारे के लिए कार्य करना, जो दायर होने के पश्चात, दंडाधिकारी द्वारा जल्द से जल्द स्वीकृत करेगा। हमारी राय है कि वर्तमान मामले में धारा 49 के साथ पठित धारा 43 के तहत निर्धारित प्रक्रिया को आकर्षित किया गया था, जिसका तथ्यों के आधार पर पालन किया गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और *अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी* के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया कानून का आदेश, हमारी राय है कि अपीलार्थी ने किसी भी तरह से सबूत के बोझ का निर्वहन नहीं किया था ताकि अधिनियम की धारा 35 परिकल्पना का खंडन किया जा सके। यह साबित हुआ है कि वह एक सचेत मन और पूर्ण ज्ञान के साथ अफीम का परिवहन कर रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा उन अपराधों के

सभी तत्व साबित किए गए थे जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।

हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

ए.क्यू. याचिका खारिज।

आलोक प्रकाश